

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सिंग हास्टल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/2018/...969

रायपुर, दिनांक...20.../09.../2018

// आदेश //

छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा "न्यू लाईफ हेल्थ एण्ड एजुकेशन सोसायटी, पोंडी (बचरा), खड़गंवा, जिला- कोरिया" द्वारा प्रस्तावित न्यू लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जिला- कोरिया (छ.ग.) को बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की जाती है:-

1. बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधायें, प्रशिक्षण ब्लाक/छात्रावास एवं स्टॉफ व्यवस्था करनी होगी।
2. प्रशिक्षण केन्द्र में वार्षिक निरीक्षण छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा प्रतिवर्ष समय-समय पर किया जावेगा इसके साथ ही आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर पुनः निरीक्षण किया जावेगा तथा मापदंड अनुसार केन्द्र संचालित नहीं पाये जाने की स्थिति में मान्यता निरस्त की जा सकती है।
3. संस्था द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम के नियमों/मापदंडों का पालन किया जावेगा।
4. केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन-पाठन फीस निर्धारण इत्यादि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जावेगा।
5. प्रशिक्षण केन्द्र को पाठ्यक्रम आरम्भ करने के पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, नया रायपुर से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।
6. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2018-19 के लिए वैध होगी।
7. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र (बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत) केवल छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करने के लिए मान्य होगी। जिसकी सूचना प्रवेश आरंभ करने के पूर्व विज्ञापन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को अवगत करानी होगी।

अध्यक्ष

छ.ग.नर्सिंग रजि.काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक...../...../2018

पृ0क्र0 /...../न.का./2018

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली, की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अध्यक्ष, न्यू लाईफ हेल्थ एण्ड एजुकेशन सोसायटी, पोंडी (बचरा), खड़गंवा, जिला- कोरिया छत्तीसगढ़/संचालक, न्यू लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जिला- कोरिया को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कार्यालयीन प्रति।

1/
अध्यक्ष

छ.ग.नर्सिंग रजि.काउन्सिल
रायपुर(छ.ग.)